उप निदेशक (नियोजन) बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2014 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही ।

उप निदेशक (नियोजन) बिहार, पटना की अध्यक्षत में दिनांक 24.11.15 को 11.00 बजे पूर्वाहन में विकास भवन स्थित डा0 मदन मोहन झा समृति सभागार में नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

1. स्थापना

(i) सेवांत लाभः– स्व0 राधेश्याम, लिपिक, के सेवान्त लाभ मामले के संबंध में श्री मनोज कुमार शर्मा, उप निदेशक (छपरा) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट खारिज होने की बात कही गई पर उत्तराधिकार पत्र अबतक अप्राप्त रहने की सूचना दी गयी। स्व0 झूलन चौधरी, लिपिक, का मामला उत्तराधिकार पत्र अप्राप्त रहने के कारण विचाराधीन है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेत्तर कारवाई की जायेगी। इन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। निदेशालय द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया।

(ii) न्यायालय वादः– न्यायालय से संबंधित मामालों के निष्पादन में तत्परता बरतने का निदेश दिया गया। इस संबंध में मुख्यालय को भेजे जाने वाले मासिक विवरणी को ससमय भेजने का निदेश दिया गया। सभी कार्यालयों में न्यायालयवाद शून्य रहने की सूचना दी गयी।

(iii) सूचना का अधिकारः– उप निदेशक (नियोजन) स्थापना प्रभारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संबंध में जिन कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त है उन्हें त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया। साथ ही ससमय मासिक प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(iv) जन शिकायतः– उप निदेशक स्थापना द्वारा निदेश दिया गया कि जन शिंकायत से संबंधित मामले को श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस आलोक में ऐसे मामलों की पूरी तत्परता से निष्पादन के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना अपेक्षित है ताकि मामले को निस्तारित माना जाय।

(v) पदस्थापन एवं स्थानांतरणः– श्री इन्द्रकांत चौधरी, लिपिक, अ0प्रा0नि0, दरभंगा एवं श्री रामेश्वर पंडित, लिपिक, जिला नियोजनालय मोतिहारी सेवानिवृत होने वाले है। इन दोनों कर्मी के सेवानिवृत होने के पश्चात एक–एक महिला कर्मी कार्यरत रहने की सूचना दी गई। अतएव इनके सेवानिवृति के पश्चात शीध्रताशीध्र कर्मी पदास्थापित करने का आग्रह किया गया। निदेशालय द्वारा इस मामले पर विचार करने की सूचना दी गई।

(vi) चतुर्थवर्गीय कर्मी की नियुक्ति एवं पदस्थापनः– चतुर्थवर्गीय कर्मी की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न जिला पदाधिकारियों के यहाँ तैयार पैनल से नाम अग्रसारित करने हेतु निदेशालय द्वारा अधियाचना भेजी गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में चतुर्थवर्गीय कर्मी के नियुक्ति हेतु तैयार पैनल से संबंधित विषय के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति प्रकिया समय पर नहीं हो पाने की सूचना दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा यह सूचना दी गई कि प्रशिक्षण पक्ष में चतुर्थवर्गीय कर्मी के अनुबंध के आधार पर सेवा ली गई है। उप निदेशक (स्थापना) द्वारा प्रशिक्षण पक्ष से संपर्क कर इस संभावना पर विचार करने की बात की गयी।

2. योजना एवं गैर योजना

(i) भवन निर्माणः— जिला नियोजनालय, बक्सर में भवन निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। योजना पटल द्वारा इस विषय पर 14 वें वित्त आयोग से मांग करने की सूचना दी गई। इस संबंध में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में श्री शशि शंकर चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा बताया गया कि जहॉ–जहॉ अ0 प्र0 सं0 भवन है वहॉ नियोजनालय के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध कराने हेतु पदाधिकारी अधियाचना दें। यथा संभव कार्यवाई की जायगी।

(ii) योजना एवं गैर योजना मद में व्यय राशिः— योजना एवं गैर योजना मद में खर्च की गई राशि की समीक्षा की गई। आवंटित राशि से कम खर्च किये जाने पर विचार किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुए राशि खर्च करने का आश्वासन दिया गया।

(iii) क्षेत्रीय कार्यालयों को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में:— क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कार्य प्रकृति में परिवर्तन पर विचार किया गया। पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण तक पहुच (outreach) एवं गतिशीलता (Mobility) में हो रही कठिनाई पर विचार किया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पूर्ण प्रमाणिकता के साथ, वाहन के लिए प्रस्ताव (Proposal with full justification) भेजने का निदेश दिया गया ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई हो सके।

(iv) जिला नियोजनालय बांका को भवन उपलब्ध कराने के संबंध में:— बाँका में नये आई0 टी0 आई0 भवन का निर्माण होने की सूचना दी गई। इस संबंध में आई0 टी0 आई0 को भवन उपलब्ध होने के पश्चात प्रशिक्षण पक्ष से जिला नियोजनालय बाँका को आई0 टी0 आई बाँका में शिफ्ट करने हेतु टेकअप करने की जानकारी श्री शशि शंकर चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा दी गयी।

(v) कार्यालय व्यय, विद्युत मद, परिवहन भत्ता, एवं दूरभाष भत्ता में अतिरिक्त राशि की माँगः—

इस संबंध में किये गये माँगों पर सहमति व्यक्त करते हुए उप निदेशक, श्री निर्मल कुमार झा द्वारा अग्रेतर कारवाई का आश्वासन दिया गया।

4. E.M.I रिपोर्ट

बैठक के दौरान सभी नियोजनालयों के द्वारा भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक (ES-3) अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं द्विवार्षिक ((ER-1 एवं E.R-2) प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयों का E.M.I प्रतिवेदन लंबित पाया गया। इस क्रम में उपनिदेशक (नियोजन) द्वारा लंबित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4. विविधः—

(i) सीखो और कमाओंः— संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, श्री शशी शंकर चौधरी एवं प्राचार्य दीधा आई0 टी0 आई0 द्वारा समीक्षात्मक बैठक के दौरान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अथवा अध्ययन पूरा कर चुके 18–26 वर्ष के व्यक्तियों के लिए सीखो और कमाओं योजना की सूचना दी गई।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को डिप्लोमा/डिग्री के साथ–साथ आमदनी भी होगी। इससे सैद्धान्तिक ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग हो पाएगा। इस योजना का सभी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। निदेशालय द्वारा इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र जिला नियोजनालय में तत्काल प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ii) <u>नियोजन मेला में विसंगतियाँ</u>:– नियोजन मेला में आ रही दिक्कत एवं आवेदन से संबंधित विसंगतियों पर चर्चा की गई। इस संबंध में कार्यालय स्तर से ससमय समस्याओं का निराकरण का निदेश दिया गया। नियोजकों से लगातार Follow up करते रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ Campus आहुत करने पर भी सहमति जतायी गयी।

(iii) <u>अनुपालन प्रतिवेदन</u>:– निदेशालय नियोजन के क्षेत्राधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से मासिक समीक्षात्मक बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित है।

अगली समीक्षात्मक बैठक की तिथि तय करने के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालयों को इसकी सूचना दी जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

ह0/–
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो0–5023/2014–1103 पटना–15, दिनांक–02.12.1

प्रतिलिपिः– 1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/सभी उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित/ सभी सहायक निदेशक (नियोजन) / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/ सभी नियोजन पदाधिकारी (वि0 वि0 नि0 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2. निदेशालय नियोजन स्थित सभी पदाधिकारी / सभी सहायक / सभी लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2.12
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

R.sir82